न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं01,उन्नाव।

सत्र परीक्षण संख्या–249 / 2017,

राज्य बनाम फैसल उर्फ गुड्डू ।

आरोप

मैं,गुलाब सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं01,उन्नाव

आप– फैसल उर्फ गुड्डू

को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँः–

प्रथमः– यह कि दिनांक–13–7–2016 को समय करीब 6.40बजे शाम वहद स्थान शेख फार्म हाउस थाना–कोतवाली जनपद–उन्नाव के अन्तर्गत आपने अन्य साथियो के साथ मिलकर परिवादी मो0 सलीम खां के साथ मोटरसाइकिल में पीछे बैठे वारिस को जान से मारने की नियत से तमंचे से गोली मारकर चोटें कारित किया । आपके इस कृत्य से यदि वारिस अली की मृत्यु हो जाती है तो आप हत्या के दोषी होते । इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो कि भा0दं0वि0 की धारा–307 के अन्तर्गत दण्डनीय है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है ।

द्वितीयः–यह कि उक्त दिनांक,समय एवं स्थान पर आपने परिवादी मो0सलीम खां व उसके साथ मोटरसाईकिल में बैठे वारिस को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जोकि भा0दं0वि0 की धारा–506 के अर्न्तगत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्व द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोपो के लिये आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक–3–11–2017,

(गुलाब सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं01,
उन्नाव।

उक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये । जिनसे अभियुक्त ने इन्कार किया एवं परीक्षण की मॉग की।

दिनांक–3–11–2017,

(गुलाब सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं01,
उन्नाव।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं01,उन्नाव।

सत्र परीक्षण संख्या–249／2017,

राज्य बनाम फैसल उर्फ गुड्डू ।

<u>दिनांक–3–11–2017ः–</u>

पुकारा गया।

अभियुक्त फेसल उर्फ गुड्डू अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित आया ।

विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौ0) की ओर से अभियुक्त के विरूद्व क्या–क्या साक्ष्य है तथा किस आधार पर आरोप सृजित होता है, तर्क प्रस्तुत किया गया ।

अभियुक्त एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (फौ0) को सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन उपरान्त अभियुक्त फैसल उर्फ गुड्डू के विरूद्ध धारा–307,506 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत आरोपो को लगाये जाने हेतु आधार पर्याप्त् पाया जाता है।

अतः अभियुक्त फैसल उर्फ गुड्डू को उक्त आरोप से आरोपित किया गया। अभियुक्त ने आरोपो से इंकार किया तथा परीक्षण चाहा । पत्रावली वास्तें साक्ष्य दिनांक– नियत की जाती है ।

दिनां–3–11–2017,

अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं01,
उन्नाव।